E-mail

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः एफ. 13(10)(5)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017 जयपुर, दिनांक 02.05.2018

समस्त जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों में जिले की किसी भी उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा (पोर्टेबिलिटी) तथा आधार/बायोमैट्रिक पहचान नहीं होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था का व्यापक प्रचार–प्रसार करने बाबत।

उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत समस्त पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने तथा हर हाल में खाद्य सुरक्षा मुहैया करवाए जाने के उद्धेश्य से जिले के भीतर पोर्टेबिलिटी का प्रावधान किया गया है ताकि अपने मूल निवास स्थान पर आवासरत नहीं रहने की स्थिति में भी लाभार्थी जिले की किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सके।

इसी प्रकार लाभार्थी का आधार राशन कार्ड में सीडेड नहीं होने तथा पॉस मशीन द्वारा किसी लाभार्थी के फिंगर प्रिंट सत्यापित नहीं होने की परिस्थिति में पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर ओटीपी प्रेषण अथवा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से बायपास सिस्टम एक्टीवेट करवाकर राशन प्राप्त करने की व्यवस्था है।

किन्तु उक्त दोनों प्रावधानों की समुचित जानकारी के अभाव में अनेक बार राशन डीलर द्वारा अन्य दुकानों पर रजिस्टर्ड लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी का लाभ दिए जाने से मना कर दिया जाता है। इसी प्रकार आधार नम्बर सीडेड नहीं होने तथा अधिक आयु के लाभार्थियों अथवा श्रमिकों आदि की बायोमैट्रिक पहचान पॉस मशीन से सत्यापित नहीं हो पाने पर लाभार्थी के भामाशाह में पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर ओटीपी मंगवाने या बायपास व्यवस्था से राशन दिलाए जाने के स्थान पर लाभार्थी को लौटा दिया जाता है।

अतः उक्त दोनों प्रावधानों का व्यापक प्रचार–प्रसार राशन डीलर्स एवं विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचार करवाया जाना अपरिहार्य है। राज्य में आगामी 01 मई, 2018 से 30 जून, 2018 तक की अवधि में चलाए जा रहे **"न्याय आपके द्वार"** अभियान के दौरान भी इस बाबत आमजन में जागरूकता फैलाने के दृष्टिकोण से प्रचार–प्रसार हेतु पोस्टर एवं पम्पलेट्स छपवाए जाने हेतु निर्धारित सामग्री संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

कृपया उक्त सामग्री को समुचित आकर्षित रीति से प्रदर्शित करने वाले बड़े पोस्टर छपवाकर उचित मूल्य दुकान पर चस्पा करवाएं तथा प्रचार सामग्री का वितरण अभियान के दौरान भी अधिकाधिक लोगों को करवाएं। पोस्टर्स जिला कलक्टर, जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी (नगरपालिका) आदि जिले के समस्त महत्त्वपूर्ण राजकीय कार्यालयों में चस्पा करवाए जायें ताकि लाभार्थियों को पूरे जिले में कहीं से भी राशन सामग्री लेने तथा बायोमैट्रिक अथवा आधार पहचान नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक रीति से राशन प्राप्त करने की व्यवस्था की समुचित जानकारी हो सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें तथा की गई कार्यवाही से पाक्षिक तौर पर अवगत करावें।

(मुग्धा सिन्हा)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ. 13(10)(5)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017 जयपुर, दिनांक 02.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
6. समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग, जयपुर।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर।
8. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर।
9. रक्षा पत्रावली।

शासन सचिव

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

जिले में किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन लेने की सुविधा

- आप अपनी रजिस्टर्ड उचित मूल्य दुकान से प्रति माह पात्रतानुसार खाद्यान्न प्राप्त करते हैं।
- यदि आप मजदूरी, कारोबार, शिक्षा अथवा अन्य किसी भी पारिवारिक कारण से अपने मूल निवास स्थान के बजाय जिले में अन्यत्र रहते हों तो भी अस्थाई निवास के गाँव, पंचायत या तहसील की किसी भी उचित मूल्य दुकान से सुविधानुसार राशन ले सकते हैं।
- जिले में कहीं से भी राशन प्राप्त करने के लिए आपको निम्न कार्यवाही करनी होगी–
  - ➢ अपने राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड को रजिस्टर करावें।
  - ➢ आपका आधार कार्ड ना बना हो तो भी जिले के भीतर किसी भी उचित मूल्य दुकान से खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
  - ➢ अगर आधार नहीं है या आधार होने पर भी फिंगर प्रिंट पॉस मशीन द्वारा स्वीकार नहीं किए जा रहे हों अपने उचित मूल्य दुकानदार से कहें कि–
    - ✓ राशन डीलर भामाशाह में पंजीकृत आपके मोबाईल नं. पर OTP (One Time Password) मंगवाकर अपनी पहचान सुनिश्चित करें।
    - ✓ यदि आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का मोबाईल नं. भामाशाह में रजिस्टर्ड नहीं है तो प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का प्रमाण एक बार प्रस्तुत कर बायपास सिस्टम द्वारा राशन सामग्री प्राप्त करें।
    - ✓ आपके तहसील के उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक एवं अधिशाषी अधिकारी (नगरपालिका) आदि प्राधिकृत अधिकारी है।
    - ✓ यदि उचित मूल्य की दुकान पर आईरिस स्कैनर उपलब्ध हो तो आखों की पुतलियों द्वारा वेरिफिकेशन करवाकर भी राशन ले सकते हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जनहित में जारी